पंप एंड डंप योजना

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities Exchange Board of India- SEBI) ने कथित तौर पर '**पंप एंड डंप**' योजना संचालित करने के लिये 11 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है।

- पंप-एंड-डंप योजना **एक प्रकार की** हेरफेर गतिविधि है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी के माध्यम से स्टॉक की **कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया** जाता है, ताकि स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जा सके तथा निवेशकों को भारी नुकसान हो।
- यह हेरफेर रणनीति विशेष रूप से **माइक्रो-कैप और स्मॉल-कैप क्षेत्रों** में प्रचलित है, जहाँ कंपनियों के बारे में अक्सर **सार्वजनिक जानकारी सीमित** होती है तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है।
- SEBI के दिशा-निर्देशों के तहत पंप-एंड-डंप योजनाओं पर **पूरी तरह प्रतिबंध** है।
- पंप-एंड-डंप में हेरफेर करने वालों को **कानूनी दंड** दिया जा सकता है, जिसमें जुर्माना, अर्जित लाभ की वापसी करना और कारावास आदि शामिल हैं।
- ये योजनाएँ वित्तीय बाज़ारों में **विश्वास को कमज़ोर** करती हैं, जिससे वैध निवेशक संभावित धोखाधड़ी के प्रति सतर्क हो जाते हैं।
- **पंप एंड डंप योजना इनसाइडर ट्रेडिंग** से अलग है क्योंकि पंप एंड डंप योजना में कंपनी की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग नहीं होता है।
  - जबकि, इनसाइडर ट्रेडिंग किसी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा **खरीदना या बेचना** है जिसके पास ऐसी जानकारी हो जो प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के संदर्भ में निवेशक के **निर्णय को काफी हद तक प्रभावित** कर सकती है, जो जनता के लिये उपलब्ध नहीं कराई गई है।

और पढ़ें: शेयर बाज़ार विनियमन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pump-and-dump-scheme